

न्याय आपके द्वार अभियान केम्प कोर्ट कुराड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास

मि0न0: 557 / 2014

राम बिहारी पुंन राधाबल्लभ जाति लुहार निवासी ग्राम बृजनगर तहसील कनवास

— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा इन्द्राज दुरस्ती 88,89, आरटीएक्ट

वादी द्वारा एक वाद अ0घा0 88,89 ,आटीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं अन्य सहखातेदारो के संयुक्त खातेदारी की आराजी माल ग्राम बृजनगर प0म0 बृजनगर में खाता सं0 61 की ख.न. 32 की0.03ख.न. 40 की 0.32 ख.न.41 कि 0.28 ख.न. 455 की 1.15 है। ख.न.507/789 की 0.98 ख.न. 512 की 0.25 ख.न. 513 की 0.40 है0 ख.न. 514 की 0.45 है0 किता 8 की 3.86 है0 आराजी में वादी का अपने भाई बहिन की संयुक्त खातेदारी मे 1/4 हिस्सा निहित है तथा इस प्रकार माल ग्राम बृजनगर में ही खाता सं.62 की ख.न.21 की 0.40 ख.न. 22 की 0.58 ख.न. 33 की 2.53 ख.न. 273 की 1.46 ख.न. 412 की 0. 05 है0 ख.न. 515 की 0.06 है0 ख.न. 516 की 1.07 है0 किता 7 की रकबा 6.15 है0 आराजी में वादी का अपने भाईयों,बहनों व मा के साथ संयुक्त खातेदारी में 1/2 हिस्सा निहित है। जिसमें वादी का नाम शिवशंकर पुत्र. राधा बल्लभ दर्ज हो रहा है जबकि वादी का वास्तविक नाम राम बिहारी पुत्र राधाबल्लभ है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपर वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री पारित की जाकर वादी का नाम शिवशंकर के स्थान पर रासबिहारी किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रकरण आज न्याय आपके द्वार अभियान के अर्न्तगत आयोजित केम्प में पेश हुई प्रकरण में जवाब सरकार लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड गवाहान का अवकलोकन किया गया। वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एव अन्य सहखातेदारो के संयुक्त खातेदारी की आराजी माल



उपखण्ड अधिकारी  
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
कनवास जिलाकोटा(राज0)

ग्राम बृजनगर प०म० बृजनगर में खाता सं० 61 की ख.न. 32 की 0.03 ख.न. 40 की 0.32 ख.न. 41 की 0.28 ख.न. 455 की 1.15 है। ख.न.507/789 की 0.98 ख.न. 512 की 0.25 ख.न. 513 की 0.40 है० ख.न. 514 की 0.45 है० किता 8 की 3.86 है० आराजी में वादी का अपने भाई बहिन की संयुक्त खातेदारी मे 1/4 हिस्सा निहित है तथा इस प्रकार माल ग्राम बृजनगर में ही खाता सं.62 की ख.न.21 की 0.40 ख.न. 22 की 0.58 ख.न. 33 की 2.53 ख.न. 273 की 1.46 ख.न. 412 की 0.05 है० ख.न. 515 की 0.06 है० ख.न. 516 की 1.07 है० किता 7 की रकबा 6.15 है० आराजी में वादी का नाम शिवशंकर के स्थान पर रामबिहारी दर्ज किया जावे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
कनवास  
कनवास जिला न्यायालय (राज०)

## अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत      उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास      मुकाम कनवास

1. रामबिहारी पुत्र राधावल्लभ जाति लुहार निवासी ग्राम बृजनगर तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा इन्द्राज दुरुस्ती 88,89 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 557/14 सन 2014 तारीख फैसला 12.05.2016 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नं. 1 परोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है ग्राम बृजनगर पटवार मण्डल बृजनगर के खाता संख्या 61 की खसरा नंबर 32 की 0.03 है0, खसरा नंबर 40 की 0.32 है0, खसरा नंबर 41 की 0.28 है0, खसरा नंबर 455 क 0.45 है0, खसरा नंबर 507/789 की 0.98 हे0, खसरा नंबर 512 की 0.25 है0, खसरा नंबर 513 की 0.40 है, खसरा नंबर 514 की 0.45 है0, किता 08 की 3.86 है0, पर तथा खाता संख्या 62 की खसरा नंबर 21 की 0.40 है0, खसरा नंबर 22 की 0.58 है0, खसरा नंबर 33 की रकबा 2.53 है0, खसरा नंबर 273 की रकबा 1.46 है0, खसरा नंबर 412 की 0.05 हे0, खसरा नंबर 515 की 0.06 है0, खसरा नंबर 516 की 1.07 है0, कुल किता 07 की रकबा 6.15 हे0, आराजी में वादी का नाम शिवशंकर के स्थान पर रामबिहारी दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में आमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिया ... X ...बाबत ... X ...खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ...को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/08 /2016 माह अगस्त 2016 को जारी की गई।

मोहर



(श्री कैलाश चंद गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कनवास  
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(श्री कैलाश चंद गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
(R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कनवास  
जिला कोटा